न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 48 / 2018 / अपील / एलआरएक्ट / बांरा
तारीख दायराः 8.5.2018
अन्तर्गत धाराः 76 एल.आर.एक्ट

उनवान

1. घांसीलाल पुत्र लक्ष्मण जाति काछी निवासी निपानियां तहसील छबडा जिला बांरा राज0।

...अपीलांट

बनाम

1. रतनी पत्नी कमल सिंह उर्फ कोमल सिंह जाति काछी निवासी महूगढा तहसील राघोगढ जिला गुना (म0प्र0)
2. ललता पुत्री कमल सिंह उर्फ कोमल सिंह जाति काछी निवासी महूगढा तहसील राघोगढ जिला गुना (म0प्र0)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छीपाबडौद। ... रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित : श्री उत्पल शर्मा अभिभाषक अपीलांट

:::निर्णय:::

दिनांक 24.9.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बांरा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 135 / 2015 बउनवान घांसीलाल बनाम रतनी वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 31.1.2018 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 एलआरएक्ट मे इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अपीलार्थी द्वारा इंतकाल नम्बर 1728 दिनांक 9.6.2015 गाम निपानियां के विरूद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय मे अपील इस आशय की पेश की गई कि आराजी खसरा नम्बर 656 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा ग्राम निपानियां तहसील छबडा अपीलांट के भाई छीतरलाल की खातेदारी मे दर्ज थी। छीतरलाल का देहान्त दिनांक 28.2.1999 को हो चुका है उसकी मृत्यु उपरांत अपीलांट मृतक छीतरलाल का भाई ही एक मात्र वारिस व कायम मुकाम है। परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 9.6.2015 को फोती इन्तकाल की कार्यवाही के दौरान ग्राम निपानियां के मोतबिरान की शहादत लिये बिना ही रेस्पो0 कम 1 व 2 को मृतक छीतरलाल का वारिस मानकर फौती इंतकाल सं0 1728 से खातेदारी मे नाम अंकित कर कानूनी त्रुटि की है। अपीलांट ने एसडीओ को रेस्पो0 के हक मे इंतकाल नही खोलने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसे उन्होने तहसीलदार छबडा के नाम आदेश किया किन्तु परीक्षण न्यायालय ने बेक डेट मे इंतकाल रेस्पो0 के हक मे खोल दिया जो गैरकानूनी व अवैध होने से निरस्तनीय है। मृतक छीतरलाल की शादी 40 वर्ष पूर्व रेस्पो0 रतनीबाई से हुई थी तब रतनी बाई की आयु 8 वर्ष थी, शादी के 7 साल बाद गौणा देने से यह कहकर मना कर दिया था कि छीतर पागल है एक वर्ष बाद रतनीबाई के घर वालो के कोमलसिंह उर्फ कमलसिंह निवासी महूगढा के यहां रतनीबाई का नाता विवाह कर दिया तथा कोमलसिंह उर्फ कमलसिंह के नुत्फे से रतनीबाई के रेस्पो0 ललताबाई पैदा हुई रतनीबाई एक दिन भी छीतरलाल के पास बहैसियत पत्नी नही रही। ललताबाई छीतरलाल की औलाद नही है उक्त तथ्यों के बाबत परीक्षण न्यायालय ने कोई साक्ष्य रिकार्ड पर नही ली एंव कोई रिकार्डेड साक्ष्य प्राप्त नही किया। अतः खोला गया उक्त नामा0 गैरकानूनी होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त आशय की अपील को जेरअपील निर्णय दिनांक 31.1.2018 से खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे पेश कर निवेदन किया कि आदेश जेरअपील विधि एंव न्याय

संचिका मे उपलब्ध प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलांट द्वारा दस्तावेजो से इस तथ्य को साबित कर दिया था कि रतनीबाई सन् 1985 मे ही कोमलसिंह उर्फ कमल सिंह के नाते चली गई थी जिस हेतु एक नोटिस दिनांक 19.10.1985 को छीतरलाल द्वारा कोमलसिंह को भिजवाया गया था तथा साथ ही उन्ही तथ्यों की मतदाता सूची की छायाप्रति एवं परिवार कार्ड भी प्रस्तुत किया था जिसे माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नही मानकर तथ्यात्मक एवं विधिक भूल की है। नामा0 तस्दीक करते समय परीक्षण न्यायालय के ज्ञान मे था की रतनीबाई छीतर के जीवनकाल मे नाते चली गई। कानूनन नाते जाने के उपरांत मृतक पति की सम्पत्ति मे नाते गई महिला का कोई हक हकूक नही रहता है इस सुस्थापित तथ्य की ओर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान नही देकर विधिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय व रेस्पो0 ने प्रकरण मे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का खण्डन नही किये जाने के बावजूद भी उत्तराधिकार के जटिल प्रश्न का निर्धारण बिना किसी जांच एवं गवाहान के क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर त्रुटि की है अतः आदेश हरदो अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। नामान्तरकरण तस्दीक करने के पूर्व न तो अपीलांट को नोटिस दिया और न मौके पर कब्जे की जांच किये बगेर नेचुरल जस्टीस के खिलाफ आदेश पारित किये जाने से परीक्षण न्यायालय का आदेश निरस्तनीय है। उक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामा0 सं0 1728 दिनांक 9.6.2015 एंव निर्णय अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 31.1.2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण परीक्षण न्यायालय को छीतरलाल के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों की जांच नियमानुसार कर नामान्तरकरण तस्दीक करने की आज्ञा प्रदान करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। रेस्पो0 क्रम 1 व 2 को तामील जरिये अखबार "मध्य संदेश" दिनांक 11 जून 2019 को नोटिस साया की गई किन्तु प्रकरण मे रेस्पो0 अथवा उसकी ओर से कोई उपस्थित नही होने पर दिनांक 24.7.2019 को रेस्पो0 की तामील पूर्ण मानते हुये प्रकरण मे अभिभाषक अपीलांट की दिनांक 3.9.2019 को एक पक्षीय बहस सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 656 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा ग्राम निपानियां तहसील छबडा अपीलांट के भाई छीतरलाल की खातेदारी मे दर्ज थी छीतरलाल का देहान्त दिनांक 28.2.1999 को हो चुका है उसकी मृत्यु उपरांत अपीलांट मृतक छीतरलाल का भाई ही एक मात्र वारिस व कायम मुकाम है। परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 9.6.2015 को फोती इन्तकाल की कार्यवाही के दौरान ग्राम निपानियां के मोतबिरान की शहादत लिये बिना ही रेस्पो0 क्रम 1 व 2 को मृतक छीतरलाल का वारिस मानकर फौती इंतकाल सं0 1728 से खातेदारी मे नाम अंकित कर कानूनी त्रुटि की है क्योकि रतनीबाई के घर वालो ने कोमलसिंह उर्फ कमलसिंह निवासी महूगढा के यहां रतनीबाई का नाता विवाह कर दिया तथा कोमलसिंह उर्फ कमलसिंह के नुत्फे से रतनीबाई के रेस्पो0 ललताबाई पैदा हुई रतनीबाई एक दिन भी छीतरलाल के पास बहैसियत पत्नी नही रही। ललताबाई छीतरलाल की औलाद नही है। नामा0 तस्दीक करते समय परीक्षण न्यायालय के ज्ञान मे था की रतनीबाई छीतर के जीवनकाल मे नाते चली गई। कानूनन नाते जाने के उपरांत मृतक पति की सम्पत्ति मे नाते गई महिला का कोई हक हकूक नही रहता है इस सुस्थापित तथ्य की ओर भी कोई ध्यान नही देकर विधिक भूल की है अपने तर्क के समर्थन मे 2007 आरआरडी I (733) का न्यायिक उद्धरण पेश किया। परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण मे कोई साक्ष्य रिकार्ड पर नही ली एंव कोई रिकार्डेड साक्ष्य प्राप्त नही किया। बहस मे यह भी प्रकट किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे दस्तावेजो से इस तथ्य को साबित कर दिया था कि रतनीबाई सन् 1985 मे ही कोमलसिंह उर्फ कमल सिंह के नाते चली गई थी जिस हेतु एक नोटिस दिनांक 19.10.1985 को छीतरलाल द्वारा कोमलसिंह को भिजवाया गया था तथा साथ ही उन्ही तथ्यों की मतदाता सूची की छायाप्रति एवं परिवार कार्ड भी प्रस्तुत किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नही मानकर तथ्यात्मक एवं विधिक भूल की है। अन्त मे आदेश हरदो अधीनस्थ न्यायालय निरस्त कर प्रकरण परीक्षण न्यायालय को रिमांड करने का अनुरोध किया।

4 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एक पक्षीय मनन किया। विवादित आराजी का नामान्तरकरण सं0 1728 दिनांक 9.6.2015 छीतर पुत्र लक्ष्मण के फौत होने उपरांत रेस्पो0 क्रम 1 व 2 के पक्ष मे तस्दीक किया गया। उक्त नामा0 को अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे मृतक छीतर का एक मात्र भाई होने से उसका कायम मुकाम होना तथा रतनी बाई मृतक छीतर के जीवनकाल मे ही अन्यत्र नाते चली जाने से कानूनन नाते जाने के उपरांत मृतक पति की सम्पत्ति मे नाते गई महिला का कोई हक हकूक नही रहता है के आधार पर प्रथम अपीलीय न्यायालय मे चुनोती दी जाकर निरस्त

करने की इस्तदुआ की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने रतनीबाई मृतक छीतरलाल के जीवनकाल मे नाते जाने संबधी तथ्य दस्तावेजात से प्रमाणित नही होने से अपील अपीलांट जेरअपील निर्णय दिनांक 31.1.2018 से खारिज की है। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि ''छीतरलाल का देहान्त दिनांक 28.2.1999 को हो चुका है उसकी मृत्यु उपरांत अपीलांट मृतक छीतरलाल का भाई ही एक मात्र वारिस व कायम मुकाम है। परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 9.6.2015 को फोती इन्तकाल की कार्यवाही के दौरान ग्राम निपानियां के मोतबिरान की शहादत लिये बिना ही रेस्पो0 क्रम 1 व 2 को मृतक छीतरलाल का वारिस मानकर फौती इंतकाल सं0 1728 से खातेदारी मे नाम अंकित कर कानूनी त्रुटि की है क्योकि रतनीबाई के घर वालो ने कोमलसिंह उर्फ कमलसिंह निवासी महूगढा के यहां रतनीबाई का नाता विवाह कर दिया तथा कोमलसिंह उर्फ कमलसिंह के नुत्फे से रतनीबाई के रेस्पो0 ललताबाई पैदा हुई रतनीबाई एक दिन भी छीतरलाल पास बहैसियत पत्नी नही रही। ललताबाई छीतरलाल की औलाद नही है। नामा0 तस्दीक करते समय परीक्षण न्यायालय के ज्ञान मे था की रतनीबाई छीतर के जीवनकाल मे नाते चली गई। कानूनन नाते जाने के उपरांत मृतक पति की सम्पत्ति मे नाते गई महिला का कोई हक हकूक नही रहता है इस सुस्थापित तथ्य की ओर भी कोई ध्यान नही देकर विधिक भूल की है अपने तर्क के समर्थन मे 2007 आरआरडी 1 (733) का न्यायिक उद्धरण पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय मे दस्तावेजो से इस तथ्य को साबित कर दिया था कि रतनीबाई सन् 1985 मे ही कोमलसिंह उर्फ कमल सिंह के नाते चली गई थी जिस हेतु एक नोटिस दिनांक 19.10.1985 को छीतरलाल द्वारा कोमलसिंह को भिजवाया गया था तथा साथ ही उन्ही तथ्यों की मतदाता सूची की छायाप्रति एवं परिवार कार्ड भी प्रस्तुत किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नही मानकर तथ्यात्मक एवं विधिक भूल की है।'' अपीलांट के तर्क के संबध मे अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का अवलोकन किया गया। रेस्पो0 क्रम 1 व 2 द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय एवं हस्तगत अपील प्रकरण मे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत नही किया है। परीक्षण न्यायालय द्वारा रतनीबाई मृतक छीतर के जीवनकाल मे अन्यत्र नाते जाने एंव ललता बाई मृतक छीतर की पुत्री है अथवा नही इस तथ्य की साक्ष्य सबूत से जांच किये बिना ही नामा0 ससं0 1728 तस्दीक किया गया जिसे समुचित तथ्यों के अभाव मे उचित नही ठहराया जा सकता। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर किये बिना ही अपील अपीलांट खारिज करने मे त्रुटि की है। फलत् अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नामा0 सं0 1728 दिनांक 9.6.2015 ग्राम निपानिया व प्रथम अपीलीय न्यायालय अति0 जिला कलक्टर बांरा द्वारा प्रकरण मे पारित आलौच्य निर्णय दिनांक 31.1.2018 अपास्त किया जाकर प्रकरण परीक्षण न्यायालय को मृतक छीतर के विधिक वारिसान की जांच कर विवादित आराजी का पुनः नामान्तरकरण तस्दीक करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

5 परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नामा0 सं0 1728 दिनांक 9.6.2015 ग्राम निपानिया व अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय दिनांक 31.1.2018 अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार छबडा को पक्षकारान को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये विवादित आराजी के मृतक खातेदार छीतर के विधिक वारिसान की जांच कर पुनः नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है।

6 निर्णय आज दिनांक 24.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा